कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर
दूरभाष : 2511920, फैक्स नं. 2511918, ईमेल – audit-rcs@cg.gov.in, rcs.coop@nic.in

क्रमांक / अंकेक्षण–3 / 166 / 85 / 2022 / 2890 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 17/08/2022

–:: परिपत्र :–

प्रति,

1. समस्त संयुक्त पंजीयक
   सहकारी संस्थाएं, ...,
   संभाग ..... (छ.ग.)
2. समस्त उप / सहायक पंजीयक
   सहकारी संस्थाएं, ...,
   जिला – ..... (छ.ग.)

विषय :– **सहकारी संस्थाओं के सांविधिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में सुधार एवं प्रभावी कार्यवाही करने विषयक।**

–– 00 ––

सहकारी संस्थाओं के सांविधिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, किन्तु यह पाया गया है कि उक्त निर्देशों का गंभीरता से पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सहकारी संस्थाओं में आर्थिक अनियमितताओं की घटनाएं समय रहते प्रकाश में नहीं आ पाती है, जो कि अत्यंत खेदजनक है।

सहकारी अंकेक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाकर सांविधिक अंकेक्षण को सार्थक व प्रभावोत्पादक बनाने के लिए विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. सहकारी अंकेक्षण के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों का समुचित अध्ययन करके इसके अनुरूप संस्था की लेखा पुस्तिकाओं / अभिलेखों की संपरीक्षा की जाये। अंकेक्षक का यह निश्चित दायित्व है कि वह संस्थाओं में यह देखें कि अंकेक्षणाधीन संस्थाओं में अधिनियम, नियम, उपविधियों तथा समय–समय पर जारी परिपत्रों / कार्यकारी निर्देशों के अनुरूप कामकाज संचालित किया जाता है अथवा नहीं तथा विधि द्वारा विनिर्दिष्ट वांछाओं का अनुपालन करते हुए अपेक्षित रीति से कामकाज संचालित हो रहा है अथवा नहीं। सांविधिक अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में संस्था के कामकाज संचालन के संदर्भ में तथ्यात्मक जानकारी देते हुए प्रमाणित करना अत्यावश्यक है कि कामकाज किस प्रकार हो रहा है।

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 43– निधियॉ तथा लाभ, एवं धारा 43–क– लाभों का विनियोजन के अंतर्गत प्रावधानों का पालन सोसाइटी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावे एवं सांविधिक अंकेक्षक द्वारा यह देखा जावे कि विभाजन योग्य शुद्ध लाभ का विभाजन एवं वितरण तथा लाभों का विनियोजन अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधान अनुसार हो। समस्त सहकारी संस्थाएं अपने वित्तीय पत्रक बनाते समय धारा 43 तथा धारा 43–क के प्रावधानों का क्रियान्वयन करने के बाद ही वित्तीय पत्रक बनावें तथा सांविधिक अंकेक्षक इस प्रावधान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

3. यह सांविधिक अंकेक्षक का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि क्या सोसाइटी द्वारा पूर्व वर्ष में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 56 (1–क) के तहत विवरणियां फाईल की गई थी अथवा नहीं, तथा इसका उल्लेख विशेष रूप से संपरीक्षा प्रतिवेदन में किया जाना चाहिए।

यदि सोसाइटी द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 56(1–क) के तहत विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गई, तो जिला अधिकारी (उप पंजीयक/सहायक पंजीयक) धारा 56(3) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4. अंकेक्षण आबंटन में विभाग द्वारा जारी परिपत्रों एवं मापदंडों का पूर्णतः पालन किया जाये। किसी भी अंकेक्षक को एक ही संस्था का अंकेक्षण कार्य बार–बार आवंटित नहीं किया जाये। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 50(2) अनुसार ''कोई भी संपरीक्षक, सोसाइटी विशेष के संपरीक्षण हेतु निरंतर दो वित्तीय वर्ष से अधिक अवधि के लिए, नियुक्त नहीं किया जायेगा'' जिसका पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

5. संस्था वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर बैंक के खाते का स्टेटमेंट एवं बैलेंस कन्फरमेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करेगी तथा अपनी लेखा पुस्तिाओं से मिलान करेगी। इसमें कोई अंतर होने की स्थिति में संस्था बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार करेगी, जिसे सांविधिक अंकेक्षक द्वारा परीक्षण कर अंकेक्षण टीप के साथ अनिवार्यतः संलग्न किया जावेगा।

6. वर्षान्त् पर नगद राशि, व्यापारिक स्कंध, डेड स्टॉक एवं फर्नीचर इत्यादि के भौतिक सत्यापन किये जाने के संबंध में पूर्व से ही निर्देश विभिन्न परिपत्रों द्वारा दिये गये हैं, किन्तु यह देखने में आ रहा है कि इनका भौतिक सत्यापन नहीं कराया जा रहा है। वर्षान्त् पर नगद राशि, व्यापारिक स्कंध, डेड स्टॉक फर्नीचर के भौतिक सत्यापन अनिवार्य कराया जावे तथा इसमें कोई कमी परिलक्षित होती है, तो उसका उल्लेख अंकेक्षण टीप में किया जाये तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58(बी) के तहत् कार्यवाही हेतु प्रकरण बनाकर प्रस्तुत किया जाये।

7. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58(4)(तीन) के तहत् संस्थाओं का दायित्व है कि वे पंजीयक द्वारा निर्धारित समस्त अभिलेख संधारित कर सांविधिक अंकेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करें। अंकेक्षण के दौरान यदि सांविधिक अंकेक्षक यह पाता है कि संस्था में महत्वपूर्ण अभिलेख संधारित नहीं किया है तो वे इसकी सूचना जिला उप/सहायक पंजीयक को देंगे तथा सांविधिक अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सत्य पाये जाने पर संस्था की निर्धारित समयावधि में आवश्यक अभिलेख सांविधिक अंकेक्षक को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करेंगे। संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर उसके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाये।
8. यदि सांविधिक अंकेक्षक यह पाता है कि संस्था द्वारा संधारित नहीं किये गये अभिलेख इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जो कि संस्था के वित्तीय लेखों/क्रियाकलापों को प्रभावित करते हो तो ऐसे अभिलेख अपूर्ण होने की जानकारी आपत्ति के रूप में अंकेक्षण टीप में अंकित करेगा, जिसे आगामी वर्ष के अंकेक्षण के समय संस्था पूर्ण कर प्रस्तुत करेगी।
9. सांविधिक अंकेक्षक द्वारा संपरीक्षा प्रतिवेदन के सभी कॉलमों की प्रविष्टियाँ अनिवार्यतः की जाये तथा कोई कॉलम रिक्त नहीं रखा जाये। कार्यालय द्वारा संपरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के समय यह देखा जाय कि सांविधिक अंकेक्षक द्वारा प्रतिवेदन के सभी कॉलमों में यथास्थान वांछित जानकारी अंकित की गई है या नहीं। यदि जानकारी अपूर्ण है तो उसे पूर्ण कराने के उपरांत ही प्रतिवेदन लिया जाये।
10. ऐसी सहकारी संस्थाएं जो अपने सदस्यों को ऋण वितरण करती है तथा उनकी सदस्य संख्या 500 तक है तो उनके 05 प्रतिशत सदस्यों से तथा सदस्य संख्या 500 से अधिक होने पर 50 सदस्यों से ऋण वितरण के संबंध में पूछताछ कर भौतिक सत्यापन किया जाकर तथ्य अंकेक्षण टीप में अंकित किये जाये।
11. संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं प्रतिवेदन में अंकित जानकारी का मिलान किया जाये तथा विसंगतिपूर्ण होने पर आवश्यक सुधार कराया जाये।
12. ऐसी सहकारी संस्थाएं जो ऋण वितरण एवं अमानतें प्राप्त करने का कार्य करती है उनमें व्हाऊचर एवं रसीद का 100% अंकेक्षण किया जाए तथा रु. 5.00 करोड़ तक के सालाना कारोबार वाली समितियों के 100% एवं रु. 5.00 करोड़ से अधिक सालाना कारोबार वाली समितियों के कम से कम 10% मामलों में लेजर पोस्टिंग चेक की जावे तथा गड़बड़ी पाये जाने पर 100 प्रतिशत मामलों में पोस्टिंग चैक की जाये।

13. सांविधिक अंकेक्षक को छल, कपट, धोखाधड़ी, गबन आदि के प्रकरण का बारीकी से परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रकरणों में जानकारी न प्रदर्शित करने पर सांविधिक अंकेक्षक पर भी दायित्व निर्धारित हो सकता है। अतः सांविधिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त अनियमितताओं का उल्लेख संपरीक्षा प्रतिवेदन में अनिवार्यतः किया जाये। गबन धोखाधड़ी के प्रकरण में पुलिस कार्यवाही किये जाने तथा राशि वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु संबंधितों को अवगत कराया जाय। ऐसी आर्थिक अनियमितताएँ जिनसे संस्था को हानि पहुँची है, के प्रकरणों में विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। विशेष प्रतिवेदन व गबन धोखाधड़ी के प्रकरणों में उप/सहायक पंजीयक दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध त्वरित वैधानिक कार्यवाही करना/कराना सुनिश्चित करेंगे। गंभीर अंकेक्षण आपत्तियों पर त्वरित कार्यवाही नहीं किये जाने पर संबंधित अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

14. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 61 त्रुटियों की परिशुद्धि तथा सहपठित छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 50 (6) के तहत प्रत्येक सोसाइटी को अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत की गई संपरीक्षा में प्रकट हुई त्रुटियों को संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर उसमें सांविधिक संपरीक्षक की टिप्पणी सहित अनुपालन रिपोर्ट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना प्रावधानित है, जिसकी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

सांविधिक अंकेक्षण कार्य के दौरान पूर्व के वर्षों के अंकेक्षण में ली गई आपत्तियों के पालन प्रतिवेदन की स्थिति पर सांविधिक अंकेक्षक द्वारा टीप दी जाये। यदि संस्था ने पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तो अंकेक्षण टीप में इसका उल्लेख किया जाये।

15. सांविधिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त गबन धोखाधड़ी के प्रकरणों को संपरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित करने एवं विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने के संबंध में **सांविधिक अंकेक्षक इस परिपत्र में पृष्ठ 04 पर दिये प्रारूप अनुसार प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संपरीक्षा प्रतिवेदन में अंकित करेंगे।**

16. सांविधिक अंकेक्षण को सार्थक व प्रभावी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि अंकेक्षण कार्य पर समुचित नियंत्रण हो। इस हेतु संभागीय संयुक्त पंजीयक भ्रमण के समय प्रत्येक जिले में त्रैमास में पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन में से कम से कम 05–05 संस्थाओं के प्रतिवेदनों का परीक्षण करेंगे एवं प्राप्त त्रुटियों व गुणवत्ता के संबंध में वरिष्ठ कार्यालयों व संबंधित जिला कार्यालय को अपनी टीप प्रस्तुत करेंगे।

17. मुख्यालय के अधिकारियों के द्वारा भ्रमण के समय जिले की कम से कम 02 संस्थाओं के पारित अंकेक्षण–प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर अपनी टीप प्रस्तुत की जाये।

18. विधि का मान्य सिद्धांत है कि जब किसी कार्य के निष्पादन/संपादन के संबंध में कोई सुस्पष्ट कार्यकारी नियम नहीं हो तो, कार्य सम्यक ज्ञान, विवके, युक्ति तथा व्यवहारिक रीति से किया जाना चाहिए, जो कि अधिनियम, नियम, विभाग द्वारा जारी परिपत्रों तथा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों से सुसंगत हो तथा पूर्ण पारदर्शिता परलक्षित हो।

उक्त निर्देशों का कठोरतापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाये तथा अंकेक्षण की प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले कर्मचारी/अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

इस परिपत्र की प्रति सभी कार्यरत् स्टॉफ व जिले की संबंधित समस्त सहकारी संस्थाओं को दी जाकर इसकी पावती कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये।

संलग्न :- अंकेक्षक का प्रमाण पत्र का प्रारूप।

(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ0क्र0/अंकेक्षण–3/166/2022/2890 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 17/08/2022

प्रतिलिपि :–

1. समस्त राजपत्रित अधिकारी, ... , मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त शीर्ष सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं सांविधिक अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व उपलब्ध करवाने एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु ।
3. समस्त सहकारी संस्थाऐं, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. समस्त कक्ष, ... , मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।

पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

प्रारूप

अंकेक्षक का प्रमाण पत्र
(जो लागू न हो उन्हें काट दें)

1. संस्था के अंकेक्षण के दौरान प्राप्त गबन–धोखाधड़ी, गंभीर वित्तीय अनियमितताओं व सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में उल्लंघन के प्रकरणों का उल्लेख मेरे द्वारा अंकेक्षण प्रतिवदेन में कर दिया गया है।
2. यह कि ऐसी वित्तीय अनियमितताएँ जिनसे संस्था को हानि पहुँची है की वसूली हेतु विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है।
3. यह कि गबन धोखाधड़ी के प्रकरणों में पुलिस कार्यवाही हेतु तथा राशि वसूली हेतु संबंधितों को अवगत करा दिया गया है।
4. अंकेक्षण के दौरान गबन धोखाधड़ी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के कोई प्रकरण प्रकाशमान नहीं हुए। संपरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित आपत्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाशमान नहीं हुए हैं।

दिनांक : .....

सांविधिक संपरीक्षक के हस्ताक्षर
(नाम एवं पद–मुद्रा सहित)